

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर  
कमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2019/103 दिनांक : 08/02/19

आदेश

वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ. 11(7) एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.08, एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्रीमती भारती गोठवाल, लैब टैक्नीशियन	अधीक्षक, राजकीय महिला चिकित्सालय, अजमेर	22.05.2009 म.प.	23.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
2.	श्री विमल कुमार बेनीवाल, लैब टैक्नीशियन	अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	28.10.2009	28.10.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
3.	श्री सुरेश चन्द सैनी, लैब टैक्नीशियन	अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
4.	श्री कमलेश कुमार शर्मा, ले.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ़	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
5.	श्री लक्ष्मण कुमार के. ले.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ़	02.03.2009	02.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
6.	श्री बसन्त कुमार जाटव, ले.टे.	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चित्तौडगढ़	03.03.2009	03.03.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
7.	श्रीमती कविता तिवाडी, लैब टैक्नीशियन	अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर	25.05.2009	25.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9

8.	श्रीमती पूजा शर्मा, लैब टैक्नीशियन	अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर	25.05.2009	25.05.2018 9 वर्ष	लेवल-8	लेवल-9
----	---------------------------------------	--	------------	----------------------	--------	--------

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

(राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 08/02/19

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2019/103

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर